

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/परिषद/सम्बद्धता/2020/1971

अवकाश दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मली कार्यालय जॉक इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संवन्ध हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से स्थापित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रेक्ष्य क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के पत्र-3 में डिप्लोमा इन फार्मली पाठ्यक्रम स्थापित करने वाली पूर्व से स्थापित संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता अधिष्ठित द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

" निम्नी श्रेणी में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मली पाठ्यक्रम संवाहित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठसीआईओ द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रेक्ष्य क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को अखिल सम्बद्धता समिति की बैठक में दिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा इन फार्मली पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रेक्ष्य क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं. सं. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रेक्ष्य क्षमता	पीठसीआईओ/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रेक्ष्य क्षमता
1	1068	वैद्यनाथ कॉलेज ऑफ फार्मली, बाराही बजार, बरेilly	डिप्लोमा इन फार्मली	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीठसीआईओ/पीठसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद विभाग/संस्था 1982, सेक्टर विनियम/संस्था-2018 तथा अन्य विहित विनयों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा सुझाव निर्माण समिति द्वारा निर्धारित सुझाव तीन वार्षिक इंडीय पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 30,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मली पाठ्यक्रम हेतु ₹ 40,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक राज्य दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मली पाठ्यक्रम के अधिष्ठित) हेतु ₹ 22,500.00 प्रतिवर्ष सुझाव ही प्रत्येक मात्र/प्रकार के प्रत्येक विषय पर होगा। उपरोक्त के अधिष्ठित मात्र/प्रकारों से सुझाव के सम्बन्ध में सत्र-सत्र पर

(Handwritten Signature)

**कार्यालय,
संघिय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राथिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3137

तख्त-कड-दिनांक- 08/08/2021

-कार्यालय प्राप:-

अखिल भारतीय कानूनी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कानूनी काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैदिक सत्र 2021-22 हेतु विद्योमा सत्रीय कानूनी शिक्षा बोधार्थी को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, 30000 तख्त-कड से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संजत्र हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संजत्रित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिख गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 30 000 तख्त-कड द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम :	1996-NEELKANTH COLLEGE OF PHARMACY, PAWALI KHAS, SARDHNA, MEERUT
संस्था	रा-आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
पाठ्यक्रम का नाम	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY
	60
	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था रा-आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इकी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय उर्ध्वसे पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कानूनी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले वासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जैसे निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो प्रवेश की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को 30000 प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना/ विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के विस्तार रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश वासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत वासनादेश के अनुसार गिरिस्तम एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को रा-आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश वासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/वासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, 30000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30000 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 30000 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बध्य होगी।
- ✓ दिल्लीया इन फर्चोसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई., नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में संस्था उत्तरदायित्व संस्था का होना और विधिया रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था सत्र उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश वासन की कोई कद उत्तर दिया जाता है तथा उत्तर कद के संबंध में मा. वासनालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संयुक्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करना होगी।
- ✓ दिल्लीया इन फर्चोसी पाठ्यक्रम संजत्रित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तख्त-कड द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अत्यधिक प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करवाना